न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 14/2015
दायर दिनांक : 09/09/2015
निर्णय दिनांक : 14/05/2024

उनवान

1. सलीम मोहम्मद पिता नन्हे खां मुसलमान निवासी जवाहरनगर आकोला तहसील भूपालसागर
2. हनीफ मोहम्मद पिता नन्हे खां मुसलमान निवासी जवाहरनगर आकोला तहसील भूपालसागर
3. गफूरन बेवा नन्हे खां मुसलमान निवासी जवाहरनगर आकोला तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. सिराज मोहम्मद पिता नन्हे खां मुसलमान निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2. जन्नत बानू पुत्री नन्हे खां मुसलमान निवासी आकोला हाल पत्नी ईशाक मो. पिता मिट्ठू निवासी खोडण तहसील प्रतापुर जिला बांसवाड़ा
3. जरिना पुत्री नन्हे खां पत्नी गफूर मो. पिता अजीम मो. निवासी चौबेजी का कंथारिया तह. भदेसर
4. ग्राम पंचायत, आकोला जरिये सरपंच, आकोला
5. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर
6. उप पंजीयक, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व अपील अंतर्गत धारा – 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री शब्बीर मोहम्मद, अधिवक्ता अपीलान्ट

: : निर्णय : :

वकील अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 प्रस्तुत की, जिसका विवरण इस प्रकार है :

यह कि ग्राम आकोला पटवार हल्का आकोला तहसील भूपालसागर की हाल खाता सं. 559 में दर्ज हाल आ.सं. 4193 रकबा 0.14 है., आ.सं. 4194 रकबा 0.13 है., आ.सं. 6886 रकबा 0.05 है., आ.सं. 6887 रकबा 0.66 है., आ.सं. 6915 रकबा 0.30 है., आ.सं. 6916 रकबा 0.32 है., आ.सं. 6917 रकबा 0.01 है. किता 7 रकबा 1.61 है. स्थित है जो हम अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. एक लगायत तीन के पिता स्व. नन्हे खां के नाम दर्ज रिकार्ड थी उक्त खाते में से हाल आराजी सं. 4193 रकबा 0.14 है., आ.सं. 4194 रकबा 0.13 है. किता 2 रकबा 0.27 है. स्व. नन्हे खां जी ने अपने जीवनकाल में उस्मानगी पिता जमाल मोहम्मद मंसूरी को बिकाव कर दी जिससे उक्त दोनों नम्बरान का कोई विवाद नहीं रहा है जिससे उक्त उस्मान गनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। मौजा आकोला प.ह. आकोला तहसील भूपालसागर के खाता सं. 559 में शेष स्व. नन्हे खां की शेष बची आ.सं. 6886, 6887, 6915, 6916, 6917 किता 5 रकबा 1.34 है. स्थित है, जो वर्तमान रेवेन्यू रिकार्ड में हम अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं. 1 से लगायत 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो गलत है।

यह कि रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 से लगायत 3 ने रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 से मिलकर उक्त इन्तकाल से जो वर्तमान रिकार्ड में दर्ज किया है जो गलत दर्ज है क्योकि रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 को मुस्लिम

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

कानून की जानकारी नहीं थी और उक्त इन्तकाल हिन्दु कानून के अनुसार खोला है, जो गलत है क्योंकि रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के जो हाल रिकार्ड में हिस्सा दर्ज किया है वह गलत दर्ज किया है। मुस्लिम कानून के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 बराबर हक हिस्से की अधिकारिणी नहीं है और रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 को कानूनी जानकारी नहीं होने से उक्त इन्तकाल को खोलने में भारी भूल की है जिससे उक्त इन्तकाल खारिज किये जाने योग्य है। उक्त इन्तकाल की अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी, अपीलान्ट अनपढ है और रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 ने जबरन बलपूर्वक कब्जा लेने की कोशिश की व अपीलान्ट को कब्जे से बेदखल करने की धमकी दिनांक 22.11.2014 को दी जिस पर अपीलान्ट ने रेवेन्यू रिकार्ड की नकले ली और अपने विधिक सलाहकार से सलाह ली तो उक्त गलत इन्तकाल की जानकारी हुई जिससे अपीलान्ट बिना किसी देरी के उक्त अपील न्यायालय आप में पेश है। गलत इन्तकाल की अपील की कोई निश्चित समयावधि नहीं होती है किन्तु फिर भी गुजरे हुऐ समय को अपील में शुमार चाहने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का अपील के साथ पेश है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से लगायत 3 ने अपीलान्ट दिनांक 22.11.2014 को कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी आराजियात को बिकाव करने की धमकी दी जिससे दौराने अपील विचारण अपीलान्ट को कब्जे से बेदखल नहीं करें व रेवेन्यू रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये अपील की सुनवाई तक यथास्थिति का आदेश चाहने हेतु आदेश 41 नियम 5 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट ने अलग से पेश किया है। अपील में रेस्पोडेन्ट सं. 6 को फोरमल पक्षकार बनाया है किन्तु प्रा. पत्र आदेश 41 नियम 5 जा.दी. के अन्दर रेस्पोडेन्ट सं. 6 से दाद चाही है जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 6 को पक्षकार बनाया है। रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 22.11.2014 को अपींलान्ट को कब्जे से बेदखल करने व बिकाव करने की धमकी दी जिससे बिनाय अपील दिनांक 22.11.2014 से प्रारम्भ होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि अपील की कॉलम सं. दो में वर्णित जैरबहस आराजियात में रेस्पोडेन्ट्स सं. 4 व 5 ने बिना कानून की जानकारी के इन्तकाल नं. 1300 दिनांक 23.12.2010 को मय हर्जे खर्चे के सहित खारिज किया जावे

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किये गये। बावजूद सूचना रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से लगायत 4 उपस्थित नहीं आने से दिनांक 08.11.2017 को इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर उक्त इन्तकाल को निरस्त करा मुस्लिम कानून के अनुसार खुलवाया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, दफा 5 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, भूपालसागर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है विधिवत दोनों को पक्षों के वारिसान सुना जाकर मुस्लिम कानून के अनुसार विधिवत इतकाल खोला जाने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर